न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 26/2017

1. इकतरसिंह पुत्र श्री गोपालसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. जगतारसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. आत्मासिंह पुत्र बुकनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. जसमेलकौर पत्नी भजनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. इकबालसिंह पुत्र भजनसिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. रेशमसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. महेन्द्रसिंह पुत्र रणसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. इकबालसिंह पुत्र रणसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. भलवेन्द्रसिंह पुत्र रणसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. मलकीयकौर पत्नी महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. बोघासिंह पुत्र दयालसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. बाबत खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री बलकरणसिंह बराड़ अधिवक्ता — वादी
2. श्री दलबारसिंह बराड़ अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 ता 5
3. परौकार राज

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 28.06.2017

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के नाम से चक 7 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा के संयुक्त खाता संख्या 37/42 के मुरब्बा नम्बर 1, 20, 37, 38 की कुल 8.753 हैक्टर नहरी बारानी मय खाला कृषि भूमि में से 2.466 हैक्टर नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित है जिसक प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 संलग्न वाद पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 2

A11/

वादी के पास संयुक्त खाता के काश्तकारों की पारस्परिक सहमति एवम् घरेलू बंटवारा के अनुसार चक 7 वाई तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 37/42 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 6, 13, 14, 15 प्रत्येक 0.253 व मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 6/.240, 7/.241, 8/.240, 9/.240, 10/.240, 11/.253 नहरी मय खाल कृषि भूमि है इस प्रकार दोनों मुरब्बो की कुल 2.466 हैक्टर नहरी भूमि वादी के कब्जा व काश्त में शान्तिपूर्वक चली आ रही है। उपरोक्त कब्जा वाली कृषि भूमि में वादी द्वारा काफी सुधार कार्य करके भूमि को उपजाऊ बनाया है।

वादी इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है कि वादी के कब्जा काश्त वाली उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादीगण किसी भी तरह से कोई दखल अन्दाजी व मदाखलत करनें से बाज व ममनू रहे।

वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कब्जानुसार अपनें अपनें हिस्से की कृषि भूमि अपनें नाम से राजस्व रिकार्ड में किला वाईज करवानें हेतु कहा गया तो वह किलावाईज राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवानें से दिनांक 19.02.2017 को साफ करनें से इन्कार हो गये यही दावा का वाद कारण है।

अतः वाद पत्र पेश कर अर्ज कि वादी के हक में व विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से वाद पत्र डिक्री फरमाया जावे।

1. वादी के हक में चक 7 वाई तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 37/42 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 6, 13, 14, 15 प्रत्येक 0.253 व मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 6/.240, 7/.241, 8/.240, 9/.240, 10/.240, 11/.253 नहरी मय खाल कृषि भूमि है इस प्रकार दोनों मुरब्बो की कुल 2.466 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किला वाईज दर्ज करनें के आदेश पारित किये जावे।
2. वादी के कब्जा व काश्त वाली कृषि भूमि में प्रतिवादीगण को दखल अन्दाजी व मदाखलत करनें से बाज व ममनू रहनें की स्थई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे।
3. खर्चा मुकद्मा प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।
4. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालस उचित समझे वादी को दिलाया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की और से जरिये अधिवक्ता जबाब दावा पेश कर कथन किया कि चक 7 वाई हल्का मोहनपुरा के संयुक्त खाता संख्या 37/42 के मुरब्बा नम्बर 1, 20, 37, 38 की कुल 8.753 हैक्टर कुल भूमि है वादी व प्रतिवादी संख्या 6, 7, 8, 9 की भूमि भूमि मुरब्बा नम्बर 37 व 38 में है वादी व प्रतिवादी द्वारा मुरब्बा नम्बर 37 व 38 की भूमि किस प्रकार से आपस में बंटवारा कर रखी है इसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को नहीं है क्योंकि कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवम् 10 की भूमि खाता संख्या 37/42 के मुरब्बा नम्बर 1 व 20 में 6.233 हैक्टर है और मुरब्बा नम्बर 37 व 38 में वादी व प्रतिवादी संख्या 6, 7, 8, 9 आपस में कोई बंटवारा अथवा खाता विभाजन करते है, तो प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 बाद तलबी उपस्थित नहीं आनें पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 11 की और से पैरोकार राज उपस्थित आये जबाब दावा पेश किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद में भूमि विवाद आपसी पक्षकारन के मध्य है राज्य सरकार की और से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित किये जानें हेतु आवेदित है।

प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकीयात नहीं बनाई गई वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये जिसमें वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष अनुसार ही शपथ पत्र में अनुतोष चाहते हुए वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण अनुतोष चाहा गया।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस वादी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के कथनों को दौहराते हुए कथन किया गया कि चक 7 वाई तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 37/42 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 6, 13, 14, 15 प्रत्येक 0.253 व मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 6/.240, 7/.241, 8/.240, 9/.240, 10/.240, 11/.253 नहरी मय खाल कृषि भूमि है इस प्रकार दोनों मुरब्बो की कुल 2.466 हैक्टर नहरी कृषि भूमि पर वादी बिना विवाद के काबिज है। अतः कब्जा अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर खाता विभाजन किया जावे व लगान व आबियाना अलग अलग कायम किया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि चक 7 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा के संयुक्त खाता संख्या 37/42 के मुरब्बा नम्बर 1, 20, 37, 38 की कुल 8.753 हैक्टर नहरी बारानी मय खाला कृषि भूमि में से 2.466 हैक्टर भूमि का सहखातेदार होनें के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किये गये।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपनें पत्रांक 4341 दिनांक 27.07.2017 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये जाकर भिजवाये गये जिस पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया विद्वान अधिवक्तागण द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तथा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहीर नहीं करनें हेतु (No objection) का अंकन किये जानें के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया है।

–:: आदेश ::–

अतः तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर तथा उभयपक्ष की सहमति के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत चक 7 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा के संयुक्त खाता संख्या 37/42 के मुरब्बा नम्बर 1, 20, 37, 38 की कुल 8.753 हैक्टर नहरी बारानी मय खाला कृषि भूमि में से वादी की 2.466 हैक्टर भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी इकतरसिंह पुत्र श्री गोपालसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
7 वाई तहसील श्रीगंगानगर	37	6/.253, 13/.253, 14/.253, 15/.253	1.012 हैक्टर
	38	6/2 का .240, 7/2 का .241, 8/2 का .240, 9/2 का .240, 10/2 का .240, 11/.253	1.454 हैक्टर
कुल भूमि			2.466 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में वादी के हिस्सा की भूमि को अलग हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयूटी पेश होनें पर पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 28.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मोहनपुरा के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम
[illegible]